

FORM OF ORDER SHEET**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**
Arms Appeal No.- 18/2025Premlata Singh Appellant
Versus

The State of Bihar & Ors. Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.9.26	आदेश प्रस्तुत अपील वाद जिला दंडाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक-140, दिनांक-18.10.2019 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-7962/2017 में दिनांक-12.04.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। मामले का सारांश यह है कि :- - आवेदिका के नाम प्रपत्र-XIII एवं XIV में अनुज्ञप्ति सं0-01/2005 दिनांक-17.06.2005 को निर्गत है। - आवेदिका द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को वर्ष 2011-13 के Renewal के संबंध में आवेदन जिला दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया, जिसके उपरांत जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फारबिसगंज तथा जिला शस्त्र दंडाधिकारी, अररिया से मेसर्स माँ तारा मिक्की गन हाउस, फारबिसगंज के प्रतिष्ठान में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के शस्त्र एवं कारतूसों तथा भंडार पंजी का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। - अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फारबिसगंज तथा जिला शस्त्र दंडाधिकारी, अररिया के संयुक्त जांच प्रतिवेदन (पत्रांक-771, दिनांक-22.09.2015) समर्पित किया गया, परन्तु इसी बीच प्रश्नगत भूमि (जिसपर मेसर्स माँ तारा मिक्की गन हाउस, फारबिसगंज स्थित है) पर Eviction Suit सं0-02/2015 दायर कर दिया गया। - आवेदिका द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-7962/2017 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया, जिसके उपरांत जिला दंडाधिकारी, अररिया द्वारा विभिन्न तिथियों में आवेदिका को सुनवाई में जिला दंडाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया, परन्तु वह किसी भी सुनवाई में उपस्थित नहीं रही।	



- आवेदिका के स्तर से उक्त अनुज्ञप्ति के वर्ष 2011-13 एवं 2014-17 के Renewal के संबंध में दायर आवेदन को जिला दंडाधिकारी, अररिया द्वारा आदेश ज्ञापांक-140, दिनांक-18.10.2019 के माध्यम से आवेदिका की ओर से कोई लिखित पक्ष नहीं रखने के आलोक में अस्वीकृत करते हुए तदनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया।

आवेदिका का कथन है कि :-

- उनके नाम से अनुज्ञप्ति सं0-01/2005 निर्गत है, जिसका वर्ष 2008-10 तक का Renewal कराया गया था। वर्ष 2010-13 हेतु उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति के Renewal के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला दंडाधिकारी, अररिया के समक्ष दिया गया।
- अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फारबिसगंज तथा जिला शस्त्र दंडाधिकारी, अररिया के संयुक्त जांच प्रतिवेदन (पत्रांक-771, दिनांक-22.09.2015) में शस्त्रों एवं कारतूस की उपलब्धता एवं भंडार पंजी के अनुरूप संतोषप्रद स्थिति में पाये जाने संबंधी तथ्यों के बावजूद जिला दंडाधिकारी के स्तर से उनके अनुज्ञप्ति को Renew नहीं किया गया।
- आवेदिका द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को Renew करने हेतु सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-7962/2017 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया, जिसमें 04.07.2019 को आदेश पारित करते हुए जिला दंडाधिकारी, के समक्ष लोक अदालत में अनुतोष प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया, जिसके उपरांत जिला दंडाधिकारी, अररिया द्वारा आदेश ज्ञापांक-140, दिनांक-18.10.2019 के माध्यम से उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को केवल इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि आवेदिका की ओर से कोई लिखित पक्ष नहीं रखा गया।

समर्पित दस्तावेजों की सूची :-

- जिला दंडाधिकारी, अररिया का आदेश ज्ञापांक-140, दिनांक-18.10.2019 की छायाप्रति।
- फार्म 13 एवं 14 की छायाप्रति।
- संयुक्त जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-771, दिनांक-22.09.2015) की छायाप्रति।
- जिला पदाधिकारी, अररिया का पत्रांक-2109, दिनांक-21.09.2015 की छायाप्रति।
- जिला शस्त्र दंडाधिकारी, अररिया का आदेश ज्ञापांक-174, दिनांक-09.09.2019 की छायाप्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिला दंडाधिकारी, अररिया द्वारा



8

दाखिल कंडिकावार मंतव्य के अनुसार आवेदिका को Arms License renew करने संबंधी सुनवाई हेतु विभिन्न तिथियों में सूचना निर्गत की गई, परन्तु उनके द्वारा सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया। साथ ही मेसर्स माँ तारा मिक्की गन हाउस, फारबिसगंज से संबंधित भूमि पर सब जज, फारबिसगंज, अररिया के न्यायालय में दायर Evi-Ex-02/2023(Kumar Upendra Vs Smt. Prem Lata Singh) में दिनांक-03.01.2026 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जिसमें आवेदक (कुमार उपेन्द्र) को दखल दिलाने हेतु आदेश पारित है। पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न है -

" Therefore the District Magistrate, Araria is hereby directed to recover the arms from the aforesaid shop and store the same in proper place as per the rule within 15 days so that the vacant possession be given to the Decree Holder as per the Judgement and Decree."

उक्त पारित आदेश का अनुपालन करते हुए जिला दंडाधिकारी, अररिया ने ज्ञापांक-117, दिनांक-04.05.2026 द्वारा उक्त दुकान/प्रतिष्ठान में सुरक्षार्थ रखे गये शस्त्र/कारतूस को फारबिसगंज मालखाना में जमा करने का निदेश दिया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी, अररिया द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजे।

लेखापित एवं शुद्धित।



आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।



आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

